



2026:AHC:125299

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 18270/2026

गौरव कुमार

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राज कुमार सिंह, रजत एरेन

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रजत एरेन तथा राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर मोहम्मद अफज़ल को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 0143/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना सदर बाज़ार, ज़िला सहारनपुर के तहत, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत है कि आवेदक के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं बनता है। यह बताया गया है कि प्राथमिकी या सुसाइड नोट के अनुसार, आवेदक और मृतक आपसी सहमति से रिश्ते में थे; हालाँकि, उनकी शादी अगस्त 2025 में तय हो गई थी, लेकिन वह हो नहीं पाई और लगभग 8 महीने बाद, 18.3.2026 को मृतक ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी या सुसाइड नोट में आत्महत्या करने की तारीख के आस-पास की किसी घटना का कोई ज़िक्र नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका और विसरा सुरक्षित रखा गया था, लेकिन विवेचना अधिकारी को विसरा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत है कि वर्तमान मामले में आपराध पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक 20.3.2026 से हिरासत में है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य एसएचओ काकती पुलिस के माध्यम से, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3541 में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।
4. इसके विपरीत, ब्रीफ होल्डर ने जमानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया है, लेकिन ऊपर बताई गई बातों पर कोई सवाल नहीं उठा सके।
5. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मृतक का आवेदक के साथ आपसी सहमति से रिश्ता था और उनकी शादी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मरने वाली महिला ने कहा है कि वह आवेदक के साथ आपसी सहमति से रिश्ते में थी और आवेदक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। प्राथमिकी या सुसाइड नोट में आत्महत्या के दिन के आस-पास की किसी घटना का ज़िक्र नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत की वजह का पता नहीं चल सका और विसरा को सुरक्षित रखा गया था; हालाँकि, विवेचना अधिकारी को विसरा रिपोर्ट मिल गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 20.3.2026 से जेल में बंद है।
6. इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 मामले में इस न्यायालय की जमानत देने से जुड़ी गाइडलाइन को देखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उक्त अपराध में संलिप्त आवेदक गौरव कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-
 - (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, निष्ठापूर्वक मुकदमे/विवेचना में सहयोग करेगा।
 - (iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।
 - (iv) आवेदक को अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
9. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार बनेगा।
10. मुचलका स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।
12. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने की पॉलिसी स्ट्रैटेजी इन री: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4/2021, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 वाले आदेश का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा।)

4 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"